महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत शासन का स्वायत्तशासी संस्थान)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)

दूरभाष/Tele : (0734) 2502266, 2502254, फैक्स/Fax : (0734) 2502253

E-mail : msrvvpujn@gmail.com, Web : www.msrvvp.ac.in

- निविदा प्रपत्र -

वर्ष 2022-23 हेतु प्रतिष्ठान द्वारा संचालित श्रीजगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, पुरी

(केन्द्रीय संस्कृत विश्व विद्यालय, सदाशिव परिसर, पुरी, ओडिशा में तात्कालिक रूप से वेद विद्यालय संचालित है)

कार्य का नामः - सब्जी, फल एवं दूध हेतु

विशेष सूचना- श्रीजगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के छात्रावास, पुरी में पुरी बस स्टेंड से 07 किलोमीटर की परिधि (दायरा) में कहीं भी सब्जी,फल एवं दूध को सप्लाई करना होगा।

निविदा की अंतिम तिथि	:	17 दिसम्बर, 2022 शनिवार, सायं 5:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	:	20 दिसम्बर, 2022 मंगलवार, प्रातः 11:00 बजे
सेवा/कार्य की अनुमानित लागत राशि	:	10,00,000/- दस लाख
कार्य के पूर्ण करने की समय सीमा/समयावधि	:	एक वर्ष (आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।)
निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था का नाम एवं पता (दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर सहित)	:	

प्रतिष्ठान के उपर्युक्त कार्य हेतु इच्छुक एवं अधिकृत निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (भारत सरकार की स्वायत्त संस्थान) की ओर से श्रीजगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, पुरी की ओर से निविदा में संलग्न सूची अनुसार प्रतिदिन आपूर्ति आधार पर हरी सब्जियाँ, फल, दूध एवं दही आदि की आपूर्ति हेतु ऐसे दुकानदारों/आपूर्ति कर्त्ताओं से दो लिफाफों में निविदायें आमन्त्रित की जाती है। प्रथम लिफाफे में तकनीकी प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियाँ निम्न विवरण अनुसार जमा करना होंगी -

तकनीकी नियम एवं शर्तें (प्रथम लिफाफे में संलग्न करें)

अ. **निम्न पत्र/प्रपत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें :-**

1. कार्य करने हेतु स्थानीय निकाय में पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रेषित करनी होगी।
2. निविदाकार को शासकीय एवं अर्द्धशासकीय तथा औद्योगिक संस्थाओं का न्यूनतम दो वर्ष का समान कार्य सम्बन्धी अनुभव प्रमाण-पत्र/कार्यादेश की छायाप्रति प्रेषित करनी होगी। इसमें निविदा मूल्य की लागत का 80% का एक प्रमाण-पत्र अथवा 60% के दो प्रमाण-पत्र अथवा 50% के तीन प्रमाण-पत्र संलग्न करने आवश्यक हैं जो विगत 7 वर्षों के अन्दर प्राप्त किये गये हों।
3. निविदाकार फर्म का पैनकार्ड की छायाप्रति प्रेषित करनी होगी।
4. *GST* विभाग से जारी *GST* नम्बर की छायाप्रति प्रेषित करनी होगी।

तकनीकी बोली में निविदाकार सफल पाये जाने पर ही निविदाकार द्वारा डाला गया दूसरा लिफाफा जिसमें अंकों एवं शब्दों में दरें भरा हुआ हो निविदा प्रपत्र रखा होगा, को खोला जायेगा।

न्यूनतम निविदाकार की दरें ही स्वीकार योग्य होंगी। निविदा सभी पूर्तिं निविदा प्रपत्र में अंकित हैं जिन्हें निविदा के अन्तिम पेज पर हस्ताक्षर कर स्वीकार करना होगा। निविदा प्रपत्र वेबसाइट *www.msrvvp.ac.in* से डाउनलोड की जा सकेंगी।

निविदा के नियम एवं शर्तें -

1. समस्त निविदादाताओं को अपनी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने हेतु संलग्न प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ ही प्रस्तुत करना होगा।
2. निविदा में प्रोपराइटर/साझेदार/निदेशक के नाम के साथ हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए।
3. निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार सभी मदों में दरें भरना अनिवार्य है।
4. निविदा निम्नलिखित अनुसार अलग-अलग प्रेषित करें:-

क) **तकनीकि बोली** - उपर्युक्त अनुसार माँगे गये समस्त प्रमाण प्रपत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रतियाँ की स्केन कापी अपलोड कर मूल *(original)* प्रति निविदा स्वीकृत होने पर व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा प्रतिष्ठान कार्यालय को प्रेषित करना होगा।

ख) **वित्तीय बोली** - प्रतिष्ठान द्वारा जारी निविदा फार्म में दरे अंको एवं शब्दों में निर्धारित स्थान पर निविदा दरें भरी जाएँ। प्रस्तुत निविदा दरों में किसी प्रकार की काट-छाँट या *(overwriting)* मान्य नहीं होगी।

ब. निम्न स्थितियों में निविदा अमान्य/निरस्त मानी जायेगी :-

1. निविदाकार को *L1* होने पर उसे कार्यादेश जारी किया जाएगा । आदेश देने पर भी संस्था द्वारा कार्य नहीं करने की स्थिति में संस्था को 3 वर्ष के लिये ब्लैक लिस्ट किया जाएगा ।
2. निविदा दरें प्रतिष्ठान की शर्तों पर आमंत्रित की गई हैं। अतः निविदाकार की कोई शर्त या बंधनकारी प्रावधान मान्य नहीं होगा अर्थात सशर्त प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित निविदा फार्म में किसी प्रकार का टैक्स भुगतान या शर्तों का उल्लेख नहीं किया जावे।
3. निविदा दरें सुस्पष्ट अक्षरों में अंको एवं शब्दों में लिखा होना आवश्यक है। किसी प्रकार की अस्पष्टता एवं कटिंग, ओवर राईटिंग आदि होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
4. एक मद में भी निविदा दर न भरने पर निविदा स्वतः निरस्त हो जायेगी। निविदा प्रपत्र में दिये गये मद एवं मात्रा में ही दरें स्वीकार्य होंगी। अन्य मद एवं मात्रा में दी गई दरें स्वीकार्य नहीं होंगी।

स. अन्य जानकारियाँ :-

1. निविदा खोलते समय निविदाकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहें। अनुपस्थित रहने की स्थिति में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या जवाबदेही प्रतिष्ठान की नहीं होगी।
2. निविदा खोलने में सर्वप्रथम तकनीकी बोली खोली जायेगी। माँगे गये सम्पूर्ण प्रपत्रों के प्राप्त होने पर ही फाइनेंसियल बिड खोली जायेगी। तकनीकी बोली में अधूरे प्रपत्र प्राप्त होने पर वित्तीय बोली खोले बिना ही सम्बन्धित निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
3. निविदा स्वीकार्य होने के स्थिति में निविदा स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम 7 दिनों में सफल निविदादाता को स्वीकृत निविदा राशि की 3% धनराशि का किसी राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी *A/c Payee D.D.* या *FDR* महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के पक्ष में निष्पादन गारंटी के रूप में प्रतिष्ठान में जमा कराना अनिवार्य होगा। जो कार्य समापन तिथि से 60 दिन अधिक अवधि तक मान्य हो। निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के अनन्तर धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।
4. निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के अनन्तर एक सप्ताह के अन्दर कार्यादेश जारी कर दिया जायेगा। कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्य का अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा तदनन्तर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
5. कार्यादेश जारी होने की तिथि के एक सप्ताह के बाद की तिथि से कार्य प्रारम्भ माना जाएगा। उसी तिथि से समापन तिथि की गणना की जाएगी।
6. कार्य की विचलन सीमा (*Deviation Limit*) 100% रहेगी। इस सम्बन्ध में प्रतिष्ठान का आदेश बंधनकारी होंगे।
7. यह कि वस्तु/सामग्री की गुणवत्ता को ध्यान में रखना होगा तथा खराब वस्तु/सामग्री को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

8. बिल का भुगतान *RTGS/PFMS* द्वारा निविदा में नामित फर्म एजेंसी के नाम से उसके खाते में सीधे जारी किया जायेगा।

9. फर्म द्वारा सामान लाने-ले जाने के लिए किसी प्रकार को ट्रांसपोर्ट का किराया आदि अलग से भुगतान नहीं होगा। समस्त सामान की सुरक्षा, श्रमिकों की चिकित्सा आदि की व्यवस्था तथा विद्युत से सम्बन्धित कार्य एवं उसके सामान की चोरी, आगजनी, टूट-फूट, दुर्घटना आदि की समस्त जिम्मेदारी फर्म की रहेगी। (बाल श्रमिक प्रतिबन्धित होंगे तथा श्रमिकों द्वारा किसी प्रकार का नशा आदि निषेध होगा।) प्रतिष्ठान की किसी प्रकार के क्लेम आदि की जिम्मेदारी नहीं होगी।

10. कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। निविदा में दिये गये कार्य के अनुरूप कार्य न पाये जाने की स्थिति में अनुबन्ध रद्द कर दिया जायेगा।

11. बिल राशि से नियमानुसार आयकर एवं जीएसटी की कटौती प्रतिष्ठान द्वारा की जायेगी। टीडीएस कटौती से सम्बन्धित कर (टैक्स) जमा होने के पश्चात् प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।

12. निविदा में निर्धारित न्यूनतम दर पर कार्य करना स्वीकार किया जायेगा।

13. यदि किसी निविदा सामग्री की दर दो या दो से अधिक निविदाकारों के मध्य समान पायी जाती है तो जिस निविदा में अधिकतम सामग्रियों का दर न्यूनतम होगा उसे ही सम्पूर्ण निविदा की स्वीकृति प्रदान की जावेगी।

14. निविदा दरें प्रतिष्ठान की शर्तो पर आमन्त्रित की गई हैं अतः निविदाकार की कोई शर्त या बंधनकारी प्रावधान मान्य नहीं होगा।

15. आवश्यका होने पर *GST* जमा करने की जवाबदारी निविदाकार फर्म की होगी।

16. समस्त सरकारी विभागों द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रतिष्ठान कार्यालय में प्रस्तुत करना होंगे।

17. निविदा की अवधि एक वर्ष के लिए है। कार्य सन्तोषजनक होने पर कार्यावधि समिति की संस्तुति पर क्रमशः एक-एक वर्ष कर 3 वर्ष तक निविदा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। परन्तु इस सम्बन्ध में प्रतिष्ठान का निर्णय बंधनकारी होगा।

18. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रतिष्ठान के माननीय सचिव का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

19. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद के लिए माननीय उच्च-न्यायालय क्षेत्र इन्दौर (म.प्र.) ही रहेगा।

द. अन्य शर्तें :-

1. सभी सामग्री उत्तम गुणवत्ता से पूर्ण होना आवश्यक है।

2. आदेशित मात्रा समय एवं दिनांक को सामग्री का प्रदाय न करने पर सामग्री का क्रय खुले बाजार से किया जाकर आधिक्य की राशि प्रदाय कर्ता के बिलो/धरोहर राशि से काटी जावेगी।

3. यदि प्रतिष्ठान को किसी भी सामग्री की आकस्मिक आवश्यकता होती है और ऐसे में निविदादाता का मोबाईल या लेंडलाईन फोन बन्द रहता है या अन्य किसी कारण से निविदादाता से बात नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में

Deepak

सामग्री का क्रय सीधे खुले बाजार से किया जाकर आधिक्य की राशि निविदादाता के बिलों/घरोहर राशि से काट लिया जावेगा।

4. फ़र्म द्वारा प्रस्तुत किये गये नमुने से प्रदाय की गई सामग्री का मिलान किया जावेगा। किसी प्रकार का अन्तर होने पर सामग्री वापस कर दी जावेगी। नमूने मे प्रयोग की जाने वाली सामग्री प्रति तीन माह मे बदलकर पूर्व गुणवत्ता का नवीन नमूना प्रदान करना होगा।

5. किसी भी प्रकार की पैकिंग सामग्री नवीनतम निर्माण तिथी की देना आवश्यक है ।

6. सूची में उल्लेख नहीं किये गये खाद्य सामग्री की आवश्यकता होने पर भुवनेश्वर/समीपस्थ केन्द्रीय भण्डार के दाम पर/MRP प्रतिष्ठान द्वारा पूर्व में स्वीकृत कर सप्लाई करना होगा।

7. किराना सामग्री मांग किये जाने के अगले दिन प्रदाय करना होगा। अधिकतम तीन दिन के अन्दर समस्त सामग्री प्रदाय करना होगा। सामग्री समय से प्राप्त नहीं होने पर निविदादाता द्वारा सामग्री बाजार से क्रय कर लिया जाएगा जिसका भुगतान निविदाकार द्वारा किया जाएगा। निविदाकार को निविदा में स्वीकृत दर से ही भुगतान किया जाएगा।

8. समस्त सामग्री पुरी बस स्टेंड से 07 किलोमीटर की परिधी (दायरा) में प्रदाय करना होगी।

9. दूध अथवा दूध का उत्पाद, फल, सब्जी प्रतिदिन आवश्यकता के अनुसार ताजा प्रदाय करना होगा।

सचिव

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

नोट : - उक्त निविदा फार्म भरकर स्पीड पोस्ट द्वारा से महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, चिन्तामण जवासिया, उज्जैन (म.प्र.) 456006 पर निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त होना चाहिए। दिनांक 19.12.2022 तक प्रतिष्ठान कार्यालय में प्राप्त निविदा ही मान्य की जाएगी।

शपथ पत्र

नाम	:	....
पिता का नाम	:	....
उम्र	:	....
निवासी	:	....
फर्म/संस्था	:	....

1. मैं .... शपथग्रहिता शपथपूर्वक कहता हूँ कि मैं श्रीजगन्नाथ राष्ट्रिय आदर्श वेद विद्यालय, पुरी में हरी सब्जी, फल एवं दूध सामग्री सेवा हेतु निविदा भर रहा हूँ । मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि प्रतिष्ठान द्वारा जो भी निर्णय होने पर सामग्रियों को सप्लाई करने में प्रतिबद्ध हूँ ।
2. मैं L1 में होने पर न्यूनतम दर पर समस्त सामग्री सप्लाई करूँगा । ऐसा नहीं करने की स्थिति में मुझे आगे 3 वर्ष हेतु ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, जो मुझे मंजुर है ।

शपथग्रहिता के हस्ताक्षर
(संस्था का प्रमुख)
प्रोपराइटर

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत शासन का स्वायत्तशासी संस्थान)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)

दूरभाष/Tele : (0734) 2502266, 2502254, फैक्स/Fax : (0734) 2502253

E-mail : msrvvpujn@gmail.com, Web : www.msrvvp.ac.in

सत्र 2022-2023 के लिए प्रतिष्ठान द्वारा संचालित श्रीजगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, पुरी (ओडिशा) में सब्जी, फल एवं दूध सप्लाई हेतु निविदा पूरण

स.क्र.	वस्तु का नाम	मात्रा	राशि (रू.)
1.	आलू पहाड़ी (बड़ा) ଆଳୁ	प्रति किलो	
2.	टमाटर लाल (बड़ा)ଟମାଟ	प्रति किलो	
3.	हरी मिर्च (तीखी) ଲଙ୍କା	प्रति किलो	
4.	हरा धनिया (पत्ती वाला) ଧନିଆ	प्रति किलो	
5.	अदरक ଅଦା	प्रति किलो	
6.	लौकी ପାଣିକଖାରୂ	प्रति किलो	
7.	पत्ता गोभी ପତ୍ର କୋବି	प्रति किलो	
8.	फूल गोभी (बिना डंठल सफेद हिस्सा मात्र)ଫୁଲ କୋବି	प्रति किलो	
9.	बैंगन ବାଇଗଣ	प्रति किलो	
10.	पालक ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ	प्रति किलो	
11.	भिंडी ଭେଣ୍ଡି	प्रति किलो	
12.	सुरजने की फली ସଜନା ଛୁଇଁ	प्रति किलो	
13.	कटहल ପଣସ	प्रति किलो	
14.	कद्दू हरा କଖାରୁ	प्रति किलो	
15.	चवला फली	प्रति किलो	
16.	टिंडा	प्रति किलो	
17.	हरी मटर ଗ୍ରିନମଟର	प्रति किलो	
18.	हरी मटर के दानें ଗ୍ରୀନ ମଟର ଦାନା	प्रति किलो	
19.	नींबु (पीला एवं बड़ा) ଲେମ୍ବୁ	प्रति किलो	
20.	टमाटर हरे କଂଚା ଟମାଟ	प्रति किलो	
21.	खीरा କାକୁଡି	प्रति किलो	
22.	ककडी रेतीली	प्रति किलो	
23.	पोदीना हरा ପୋଦିନା	प्रति किलो	
24.	मूली बिना पत्ते की ମୂଳା	प्रति किलो	
25.	शिमला मिर्च କ୍ୟାପ୍ସିକମ	प्रति किलो	
26.	पीली मिर्च बड़ी	प्रति किलो	
27.	कच्चा आम (केरी) କଂଚା ଆମ୍ବ	प्रति किलो	
28.	बालोर सेमफली ସିମ୍ବ	प्रति किलो	
29.	तुराई ଜହ୍ନି	प्रति किलो	
30.	गिलकी	प्रति किलो	
31.	मैथी हरी ମେଥି	प्रति किलो	
32.	गाजर ଗାଜର	प्रति किलो	

33.	शकरकंद କନ୍ଦମୂଳ	प्रति किलो	
34.	अरबी ସାରୁ	प्रति किलो	
35.	चुकन्दर (बिना पत्ता) ବିଟ	प्रति किलो	
36.	परवल ପୋଟଳ	प्रति किलो	
37.	सेवफल डीलेशन ସେଓ	प्रति किलो	
38.	अंगूर ଅଂଗୁର	प्रति किलो	
39.	संतरा मीठावाला (बड़ा) କମଳା	प्रति किलो	
40.	केला (बड़ा) କଦଳୀ	प्रति किलो	
41.	आम ଆମ୍ବ	प्रति किलो	
42.	तरबूज ତରଭୁଜ	प्रति किलो	
43.	पपीता (पका हुआ) ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା	प्रति किलो	
44.	जामफल (बड़ा) ପିଜୁଳୀ	प्रति किलो	
45.	अनार (बड़ा) ଡ଼ାଳିମ୍ବ	प्रति किलो	
46.	चीकू (बड़ा) ଚୀକୁ	प्रति किलो	
47.	नासपती (बड़ी) ନାସପାତୀ	प्रति किलो	
48.	बोर पेमली (बड़ा)	प्रति किलो	
49.	सीताफल (बड़ा) ବଢିଆଳ	प्रति किलो	
50.	जामुन (बिना दाग) ଜାମୁକୋଳୀ	प्रति किलो	
51.	पाईनएपल (बड़ा) ସପୁରୀ	प्रति किलो	

डेयरी आइटम हेतु

स.क्र.	वस्तु का नाम	मात्रा	राशि (रू.)
52.	दूध (Milk) କ୍ଷୀର	प्रति लीटर	
53.	दही ଦହୀ	प्रति किलो	
54.	छाछ / मट्ठा ପାଣୀ ଦହୀ	प्रति लीटर	
55.	पनीर ପନୀର	प्रति किलो	
56.	चक्का	प्रति किलो	
57.	मक्खन ମାଖନ	प्रति किलो	
58.	शुद्ध घी ଘୀଅ	प्रति किलो	
59.	शुद्ध घी (देसी गाय का) ଗାଈ ଘୀଅ	प्रति किलो	

1. फल सब्जी ताजा तथा उत्तम गुणवत्ता से पूर्ण होना आवश्यक है।
2. आदेशित मात्रा समय एवं दिनांक को सामग्री का प्रदाय न करने पर सामग्री का क्रय खुले बाजार से किया जाकर आधिक्य की राशि प्रदाय कर्ता के बिलो/धरोहर राशि से काटी जावेगी।
3. यदि प्रतिष्ठान को किसी भी सामग्री की आकस्मिक आवश्यकता होती है और ऐसे में निविदादाता का मोबाईल या लेंडलाईन फोन बन्द रहता है या अन्य किसी कारण से निविदादाता से बात नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में सामग्री का क्रय सीधे खुले बाजार से किया जाकर आधिक्य की राशि निविदादाता के बिलों/ धरोहर राशि से काट लिया जावेगा।
4. सभी वस्तुओं के नमूने अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं।
5. लगभग 100 छात्रों के लिए सब्जियाँ लगभग 2 प्रकार की प्रत्येक छात्र 200 ग्राम के अनुसार तथा फल आवश्यकतानुसार सप्लाय देनी होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

इति दिनांक :- ....